भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 238
27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी

238. श्री वरुण चौधरी:
श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले सात वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए उक्त योजना को जारी रखने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। इस अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है। इसके कारण, लाभार्थियों का डाटाबेस गतिशील प्रकृति का है। वर्तमान में, 81.35 करोड़ के कुल अपेक्षित कवरेज की तुलना में, 80.67 करोड़ व्यक्ति पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए हैं। राज्यवार कवरेज अनुबंध में दिया गया है।

...2/-

(ख) और (ग): कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने तथा राष्ट्रव्यापी एकरूपता और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी 2023 की शुरुआत से एक वर्ष की अवधि के लिए एनएफएसए लाभार्थियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। नि:शुल्क खाद्यान्नों के वितरण की अवधि को अर्थात जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों/परिवारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान कवरेज (लाख में)			
		एएवाई		प्राथमिकता	कुल व्यक्ति
		परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
1	आंध्र प्रदेश	9.08	23.52	244.70	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	0.38	1.50	6.90	8.40
3	असम	6.92	28.08	223.08	251.17
4	बिहार	25.01	125.05	746.11	871.16
5	छत्तीसगढ	7.19	20.42	180.35	200.77
6	दिल्ली	0.69	2.78	70.00	72.78
7	गोवा	0.12	0.46	4.86	5.32
8	गुजरात	7.76	35.82	327.17	362.98
9	हरियाणा	2.68	11.35	115.14	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	1.65	6.82	23.07	29.88
11	झारखंड	8.94	34.76	229.43	264.19
12	कर्नाटक	10.97	43.91	358.02	401.93
13	केरल	5.96	25.59	129.21	154.80
14	मध्य प्रदेश	14.63	54.93	479.86	534.79
15	महाराष्ट्र	25.05	108.01	592.16	700.17
16	मणिपुर	0.64	1.91	18.97	20.87
17	मेघालय	0.70	2.91	18.54	21.46
18	मिजोरम	0.26	0.64	6.41	7.05
19	नागालैंड	0.48	2.11	11.94	14.05
20	ओडिशा	12.53	37.57	287.60	325.17
21	पंजाब	1.79	7.64	133.80	141.45
22	राजस्थान	6.29	22.29	417.72	440.01
23	सिक्किम	0.17	0.57	3.24	3.81
24	तमिलनाडु	18.64	65.78	298.34	364.12
25	तेलंगाना	5.67	15.95	175.74	191.62
26	त्रिपुरा	1.09	4.62	19.81	24.43
27	उत्तर प्रदेश	40.90	132.57	1377.26	1509.82

...2/-

28	उत्तराखंड	1.84	7.92	54.02	61.94
29	पश्चिम बंगाल	16.42	54.99	546.85	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.04	0.14	0.46	0.61
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव	0.05	0.24	2.45	2.69
32	लक्षद्वीप	0.01	0.04	0.18	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00	0.01	2.98	2.99
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.25	0.82	5.52	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	2.33	10.61	61.80	72.41
36	लद्दाख	0.06	0.29	1.15	1.44
कुल		237.19	892.62	7174.86	8067.47

*****